भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2480

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2026 को दिया जाना है ।

22 फाल्गुन, 1947 (शक)

आंध्र प्रदेश में सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मामले

2480. श्री येरम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सहित कई राज्य सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं और कानून व्यवस्था की स्थिति तथा सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रश्न पूछने वालों के विरुद्ध मामले दर्ज करते हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान गिरफ्तार किए गए सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं की राज्य-वार और माह-वार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को उचित विधिक प्रक्रिया के बिना उनके विरुद्ध अवैध मामले दर्ज होने से कैसे बचाती है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय हैं। इसलिए, ऐसे मामलों की रोकथाम करने, पता लगाने, पंजीकरण, जांच और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की होती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2023 से संबंधित है। विवरण उनकी वेबसाइट https://www.ncrb.gov.in/ पर अवलोकित किए जा सकते हैं।

*****